भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3391

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है।)

पार्टिसिपेटरी नोट्स

3391. श्री के. षणमुग सुंदरमः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत में निवेशित पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) की कुल राशि कितनी है;

(ख) क्या इस संबंध में गिरावट की प्रवृत्ति है और यदि हां, तो इस घटती प्रवृत्ति के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों की जांच के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसके प्रकटण के नियमों में छूट प्रदान की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पी-नोट्स की प्रतिशतता क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत में निवेशित अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों (ओडीआई) जिन्हें पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के रूप में भी जाना जाता है, की कुल राशि नीचे सारणी में दी गई हैः

वित्तीय वर्ष	**इक्विटी, ऋण और व्युत्पन्न पर ओडीआई का आनुमानिक मूल्य (करोड़ रुपए में)**
2016-17	178,437
2017-18	106,403
2018-19	78,110
अप्रैल, 2019 से अक्तूबर, 2019	76,773

स्रोत- सेबी

(ख): जी, हां। भारत में निवेशों में गिरावट की प्रवृत्ति है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की अभिरक्षा के अंतर्गत आस्ति की प्रतिशतता के रूप में ओडीआई का आनुमानिक मूल्य (ऋण, इक्विटी, और व्युत्पन्न पर) जून, 2007 में 55.7 प्रतिशत से घटकर अक्तूबर, 2019 में 2.3 प्रतिशत तक रह गया है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सेबी नियमित रूप से भारतीय पूंजी बाजारों में ओडीआई/पीएन मार्गों के माध्यम से प्रकटन के मानदंडों को कड़ा करता रहा है। सेबी द्वारा हाल ही में किए गए उपायों में प्रत्येक ओडीआई अभिदाता पर 1000 अमरीकी डॉलर का विनियामक शुल्क लगाना, सभी ओडीआई अभिदाताओं के लिए अनिवार्य केवाईसी, सभी ओडीआई संव्यवहारों का मासिक रिपोर्टिंग, ओडीआई निर्गमकर्ताओं द्वारा संदेहास्पद संव्यवहार रिपोर्ट दर्ज करना आदि शामिल हैं। इन उपायों ने ओडीआई जारी करने वाले एफपीआई की अनुपालन लागत को बढ़ा दिया है और ओडीआई का भारत में एफपीआई के रूप में प्रत्यक्ष पंजीकरण और निवेश करने की तुलना में कम आकर्षक निवेश मार्ग बना दिया है।

(ग): भारत सरकार द्वारा उच्च निवल मूल्य संपत्ति वाले व्यक्तियों (एचएनआई) के कर निर्धारण के लिए अलग से कोई जांच नहीं की जाती है। तथापि, एचएनआई सहित सभी निर्धारितियों द्वारा भरी गई आयकर विवरणियां आयकर विभाग द्वारा छानबीन के लिए मामलों के चयन हेतु जोखिम निर्धारण के अध्यधीन हो सकती हैं।

(घ): सेबी प्रतिभूति बाजार के हित में प्रकटनों में पारदर्शिता के लिए इन लिखतों के दुरुपयोग को रोकने और ओडीआई विनियामक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रकटन और रिपोर्टिंग के मानदंडों का एफपीआई विनियामकों/दिशानिर्देशों की तर्ज पर समय-समय पर यौक्तिकरण किया गया है।

(ङ): सेबी ने केवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को ओडीआई जारी करने की अनुज्ञा दी है। वर्ष 2018.19 के दौरान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को (एफडीआई) की अभिरक्षा के अंतर्गत कुल आस्तियों (एयूसी) की प्रतिशतता के रूप में ओडीआई का आनुमानिक मूल्य 2.3 प्रतिशत था।

*****